

प्रसार भारती / PRASAR BHARATI
(भारत का लोक सेवा प्रसारक) / (INDIA'S PUBLIC SERVICE BROADCASTER)
दूरदर्शन महानिदेशालय / DG: DOORDARSHAN
कॉपरनिकस मार्ग / COPERNICUS MARG,
नई दिल्ली / NEW DELHI-110001

F.No. 904/51/2022-23/APIO/RTI/CAPIO/CPIO/FAA

Dated : 11.07.2025

कार्यालय आदेश / Office Order

विषय/Subject: दूरदर्शन के प्रशासनिक/कार्यक्रम अनुभाग [एस-II, एस-II(A), CAS & डीसीडी अनुभागों] के लिए केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के नामांकन हेतु। / **Declaration of CPIO for [S-II, S-II(A), CAS & DCD] Sections, DG: Doordarshan.**

महानिदेशालय: दूरदर्शन कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.05.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत [एस-II, एस-II(A), CAS और डीसीडी], अनुभागों के सूचना का अधिकार संबंधित सभी मामलों के लिए श्री माणिक चंद प्रसाद, उप-निदेशक (प्रशा.) को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

In partial modification of DG: DD office Order even number dated 20.05.2024, Shri Manik Chand Prasad, Dy. Director (Admn.) is designated as Central Public Information Officer, under Section 5(1) of Right to information Act, 2005 in respect of all RTI matters pertaining to [S-II, S-II(A), CAS & DCD] Sections of DG: Doordarshan.


11.07.2025

(सुरेन्द्र सिंह / Surender Singh)

उप. महानिदेशक (प्रशासन) एवं (आरटीआई)
Dy. Director General (Admn.) & (RTI)

To,

1. श्री माणिक चंद प्रसाद, उप-निदेशक (प्रशा.) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी [एस-II, एस-II(A), CAS और डीसीडी] अनुभागों, डीजी:डीडी, दिल्ली / Shri Manik Chand Prasad, Dy. Director (Admn.) & CPIO [S-II, S-II(A), CAS & DCD] Sections, DG:DD, Delhi.

Copy to :-

1. श्रीमती संध्या फरक्या, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, प्रसार भारती सचिवालय को अनुरोध है कि उपरोक्त अधिकारी आदेश को आर.टी.आई वेबपेज और ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड पर अपलोड किया जाए। / Smt. Sandhya Farkya, CPIO, Prasar Bharati Sectt. with a request to upload the above Office Order on the RTI webpage and e-office Notice Board.

HC